

प्रेस नोट दिनांक 30.09.2020

जनपद बलरामपुर का शांति वाहन चोर अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी" के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के पर्यवेक्षण में दिनांक 29.09.2020 को श्री रणधीर कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर के नेतृत्व में मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर अभियुक्त विजय कुमार सोनी उर्फ बबलू सोनी पुत्र सुरेन्द्र कुमार सोनी साकिन नई बाजार कस्बा पंचपेड़वा थाना पंचपेड़वा जनपद बलरामपुर, उम्र करीब 30 वर्ष को समय करीब 23.15 बजे सोहना पेट्रोल पम्प के आगे सिकटा मार्ग पर लेवड़ी से ग्राम तरांव जाने वाली सड़क पर प्राइमरी स्कूल के पास से एक अदद देशी तमंचा व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि वह कबाड़ का काम करता है और रात्रि में वाहनों की चोरी कर बेचता है । जिसके सम्बन्ध में थाना त्रिलोकपुर पर मु0अ0सं0 194/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- विजय कुमार सोनी उर्फ बबलू सोनी पुत्र सुरेन्द्र कुमार सोनी साकिन नई बाजार कस्बा पंचपेड़वा थाना पंचपेड़वा जनपद बलरामपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 01- उ0नि0 श्री जयप्रकाश तिवारी थाना त्रिलोकपुर जनपद सि0नगर
- 02- हे0का0 सतीश तिवारी थाना त्रिलोकपुर जनपद सि0नगर
- 03- का0 नरेन्द्र यादव थाना त्रिलोकपुर जनपद सि0नगर
- 04- का0 अमित कुमार यादव थाना त्रिलोकपुर जनपद सि0नगर

प्रेस नोट दिनांक 30.09.2020

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 29-09-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही ।

दिनांक 29-09-2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन /अवैध शराब/ संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया । जिसके अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 453 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 88 वाहनों का चालान कर ₹ 77300/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।

1- थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1- आकाश यादव पुत्र तौलन यादव 2-अनिल पुत्र हरिराम निवासी-बभनी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर। के पास से 02 बोरों में 01 कुन्तल विदेशी मटर व 01 अदद मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं0-यूपी 55 एन 7159 कीमती करीब- 25000/रूपये बरामद होने के संबंध में 11 कस्टम अधि0 के तहत आवश्यक कार्यवाही की गयी है ।

प्रेस नोट दिनांक 30.09.2020
दहेज मांगने के अभियोग में दो नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में तथा श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह , क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष श्री सभाशंकर यादव थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में दिनांक 28.09.2020 को मु.अ.सं. 139/2020 धारा 498A,323,506,304B भा.द.वि. व 3/4 D.P. Act.से सम्बन्धित अभियुक्त 01-सीनू श्रीवास्तव उर्फ मुकेश श्रीवास्तव पुत्र आनंद प्रकाश श्रीवास्तव 02-पूनम श्रीवास्तव पत्नी आनंद प्रकाश श्रीवास्तव निवासी-बजडा बचडी थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर आज दिनांक 30.09.2020 को मा0 न्यायालय भेजा गया ।

अभियुक्त की गिरफ्तारी मे लगी पुलिस टीम का विवरण-

- 01-एसओ श्री सभाशंकर यादव
- 02-कां0 सरोज कुमार यादव
- 03-कां0 कौशल मौर्या
- 04-कां0 सत्येंद्र कुमार गौड़

प्रेस नोट दिनांक 30-09-2020

अवैध तमंचा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में तथा श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन में श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक जीवन त्रिपाठी मय हमराह के द्वारा आज दिनांक 30/09/2020 को थाना बांसी के हिस्ट्रीशीटर शानू पुत्र जान मोहम्मद को एक अदद तमंचा के साथ रतन सेन इंटर कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर थाना कोतवाली बांसी पर मु0अ0सं0- 305/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त-

- 1- शानू पुत्र जान मोहम्मद निवासी मोहल्ला ईशानगर नरकटहा थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

बरामदगी का विवरण-

- 1-एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

- 1- उप निरीक्षक जीवन त्रिपाठी
 2. कांस्टेबल विकास सिंह
- थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 30-09-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में तथा श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राजेश कुमार तिवारी, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 30-09-2020 को श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में उपनिरीक्षक भानु प्रताप सिंह चौकी प्रभारी डिडई मय हमराह के द्वारा अभियुक्त राहुल गुप्ता पुत्र प्रमोद कुमार गुप्ता निवासी मोहल्ला मंगल बाजार थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती को आधा किलो गांजा के साथ सर्विस स्टेशन लोहरौली के पास से गिरफ्तार कर थाना कोतवाली बांसी पर मुकदमा अपराध संख्या 306/2020 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त

1- राहुल गुप्ता पुत्र प्रमोद कुमार गुप्ता निवासी मोहल्ला मंगल बाजार थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती

बरामद माल का विवरण

1- गांजा 500 ग्राम

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण

1- उप निरीक्षक भानुप्रताप सिंह चौकी प्रभारी डिडई

2. कांस्टेबल आशुतोष सिंह

3. कांस्टेबल गुड्डू यादव

4. कांस्टेबल अभिषेक यादव

चौकी डिडई थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक 30.09.2020

शांति भंग की आशंका में 12 व्यक्ति गिरफ्तार।

श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 30.09.2020 को उपनिरीक्षक श्री अमरेश यादव, उपनिरीक्षक श्री संदीप राय व उपनिरीक्षक श्री बैजनाथ शुक्ला व उपनिरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह मय हमराह के द्वारा शांति भंग व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए 12 अभियुक्तों को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

प्रेस नोट दिनांक - 30.09.2020

नेपाल से आए तस्कर को पुलिस ने दबोचा, तकरीबन चार लाख की चरस बरामद ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन में तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरूआ, उप निरीक्षक महेश सिंह, प्रभारी चौकी बढनी तथा हमराह पुलिस बल द्वारा आज दिनांक 30.09.2020 को एक शातिर तस्कर को थाना क्षेत्रान्तर्गत कल्लनडीहवा के पास प्रातः पौने पांच बजे उस समय दबोच लिया गया, जब वह नेपाल से भारत सीमा में प्रवेश कर बढनी की तरफ जा रहा था गिरफ्तार व्यक्ति ने अपना नाम टीकाराम गिरी पुत्र मीने गिरी निवासी विजय नगर, गांव पालिका वार्ड नंबर 4 ज्योतिनगर थाना गणेशपुर कपिलवस्तु (नेपाल) बताया और इसके कब्जे से कुल 2 किलो ग्राम 850 ग्राम अवैध चरस की बरामदगी हुई । इस बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना ढेबरूआ में मु0अ0सं0: 264/2020 धारा 8/22/23 एनडीपीएस एक्ट का पंजीकरण कर अभियुक्त का चालान किया गया। बरामद चरस का मूल्य तकरीबन ₹400000 आकलित किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

टीकाराम गिरी पुत्र मीना गिरी निवासी विजयनगर गांव पालिका वार्ड नंबर 4 ज्योतिनगर थाना गणेशपुर, जनपद कपिलवस्तु (नेपाल)।

बरामदगी-

1. 2 किग्रा 850 ग्राम अवैध चरस।

2- एक मोबाइल फ़ोन व ₹1000 नगदा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

2. उपनिरीक्षक श्री महेश सिंह प्रभारी चौकी बढनी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

3. हे0का0 विजय यादव, चौकी बढनी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

4. कांस्टेबल पंकज वर्मा, थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

5. कांस्टेबल संदीप यादव, थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

6. कांस्टेबल रमेश सिंह, चौकी बढनी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

7- कांस्टेबल मुलायम कुमार, चौकी बढनी थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।